दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

बिना अनुमति जेसीजी से तोड़ दिया ग्रामीण का घर, एफआईआर दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम मुरा थाना भूपदेवपुर में रहने वाले अवधराम पटेल पिता राजिम लाल पटेल द्वारा आज दिनांक 30.12.19 को थाना खरसिया में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके भाभी रेणुका बाई पति हिंग्लेश्वर प्रसाद पटेल के नाम पर ग्राम चपले (खरसिया) में सीट वाला पक्का मकान था। उक्त भूमि निर्माणाधीन नेशनल हाइवे द्वारा भू अर्जन किया गया है। जिसका मुवावजा प्रकरण चल रहा है लेकिन दिनांक 25.11.19 को उक्त मकान को जेसीबी व अन्य संशाधन के साथ विमल गर्ग ऊर्फ विल्लू निवासी खरसिया, गया प्रसाद साहू पिता माखन साहू निवासी बानीपाथर एवं भुवनेश्वर साहू पिता शत्रुघन साहू निवासी भैनापारा मिलकर तोड़ दिये तथा मकान का सीट, दरवाजा, शटर लोहे का इंगल व अन्य सामाग्री किमती करीब 1.30 एक लाख तीस हजार को भी चोरी कर ले गये है आवेदन पर अप.क्र. 544/19 धारा 379,427,34 भादंवि विमल गर्ग , गया प्रसाद साहू , भुवनेश्वर साहू के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

जगतपुर में लगेगा स्वास्थ्य जांच शिविर

» प्रातः10 से शाम 4 बजे तक चलेगा शिविर

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत आज जगतपुर रायगढ़ में प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है। जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजियोथैरेपिस्ट आदि चिकित्सक मरीजों की जांच करेंगे। साथ ही आवश्यक परामर्श भी देंगे। मोबाईल लैब यूनिट के द्वारा जरूरी जांच कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जाएगी और मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उक्त योजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में शहरों की स्लम बस्तियों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से प्रतिमाह एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाता है। जिसके तहत रायगढ़ शहर में आज यह आयोजन जगतपुर क्षेत्र में किया जा रहा है।

पंचायत चुनाव में नामांकन के पहले दिन 128 लोगों ने भरा फार्म

न्याय साक्षी/रायगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु आज नाम निर्देशन पत्रों के जमा करने के प्रथम दिवस पर रायगढ़ जिले में कुल 128 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। जिसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए 01, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 02, सरपंच पद के लिए 08 तथा पंच के लिए 117 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए।

छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति राम प्रसन्ना शर्मा का दौरा कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति राम प्रसन्ना शर्मा 30 दिसम्बर को रात्रि 8.5 बजे रायगढ़ आयेंगे एवं सर्किट हाऊस रायगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। न्यायमूर्ति प्रसन्ना 31 दिसम्बर को शाम 4.15 बजे रायगढ़ से बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

सबेरे 8.30 बजे से पहले एवं शाम 5 बजे के बाद संचालित न किये जाए विद्यालय-कलेक्टर

» शीतलहर के कारण विद्यालयों के लिए जारी किया गया आदेश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए रायगढ़ जिला अंतर्गत सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है कि दिनांक 31 दिसम्बर 2019 से 11 जनवरी 2020 तक प्रातः 8.30 के पूर्व एवं सायं 5 बजे के बाद विद्यालय संचालित न किया जावे।

आबकारी टीम ने दबिश देकर 103 बल्क लीटर मदिरा बरामद किया

रायपुर(आरएनएस)। कलेक्टर रायपुर के निर्देश पर आबकारी उपायुक्त के मार्गदर्शन में जिला रायपुर की आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 28 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 26 न्यम कलिंग नगर थाना गुढ़ियारी रायपुर में दबिश देकर 84 बलक लीटर मध्यप्रदेश की विदेशी मदिरा एवं 19 लीटर देशी मदिरा बरामद किया गया है।

कोतरारोड थाना क्षेत्र के 4 स्कूलों में पुलिस महिला रक्षा टीम का जागरुकता कार्यक्रम

» कार्यक्रम में करीब 2500 छात्र-छात्राओं को यौन अपराधों की जानकारी के साथ दिया गया सेल्फ डिफेंस के टिप्स

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस महिला रक्षा टीम द्वारा दिनांक 30.12.19 को थाना कोतरारोड क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ीमलनगर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ीमलनगर, स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल किरोड़ीमलनगर तथा जिंदल आदर्श ग्राम्य भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ीमलनगर में जाकर संवेदना कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को यौन अपराधों, सायबर क्राईम, यातायात नियमों, गुड टच बैड टच से संबंधित जानकारी, व आत्मरक्षा के लिये सेल्फ डिफेंस करने की तरीकों को डेमो देकर बताया गया।

पुलिस महिला रक्षा टीम द्वारा पूर्व में विद्यालय के प्राचार्ये से संपर्क कर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समय चाहा गया गया था।

शीत कालीन अवकाश बाद आज स्कूलों के खुलने पर चारों स्कूलों में आज ही कार्यक्रम के लिए समय मिलने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने महिला सेल की महिला प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा, महिला आरक्षक रोजमैरी तथा इन्दू लता एक्का के साथ सभी स्कूलों में गई। जहां महिला प्रधान आरक्षक मंजु मिश्रा द्वारा छात्र-छात्राओं को यौन अपराधों की विस्तारपूर्वक जानकारी एवं उनके बचाव के उपाय तथा वर्तमान में मोबाइल व इंटरनेट के माध्यम से हो रहे अपराधों की जानकारी दी दिया गया।

उन्हें बगैर लायसेंस वाहन नहीं चलाने की समझाईश दी गई तथा। अपने अभिभावकों को हेल्मेट का उपयोग करने तथा यातायातनियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करने कहा गया। सभी स्कूलों में महिला प्रधान आरक्षक व उनके स्टाफ द्वारा छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के तरीकों का डेमो कर बताया गया साथ ही बतायी की लडकियां कुछ गैजेट्स जैसे पेन व कॉम्ब नाइफ, परफ्यूम पेपर स्प्रे, पर्सनल अलार्म की मदद से जरूरत पड़ने पर सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, बताया गया। इस दौरान बच्चों को हेल्प लाईन नम्बर मोबाइल नम्बर 1098, 1091, 112 एवम 100 के बारे में भी बताया गया है। इन चारों स्कूलों में लगभग 2500 छात्र-छात्राएं व स्कूल के शिक्षकगण व स्टाफ मौजूद थे।

ट्रेक्टर चालक की लापरवाही से ट्रेक्टर में लोड पाईप सायकल चालक के पैर में गिरी

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पाईंट ड्यूटी के ट्राफिक जवानों ने की मदद

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगर निगम रायगढ़ द्वारा संचालित ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से दिनांक 30.12.19 के शाम छातामुड़ा चौक के पास ट्रेक्टर में लोड़ बड़ी-बड़ी पाईप सड़क पर उतारते समय वहां से जा रहे सायकल चालक के पैर में जा गिरी। घटना को देखते ही छातामुड़ा पाईंट ड्यूटी मैं लगे थाना यातायात के आरक्षक धनंजय सिंह व सैनिक मिलाप सिंह जाकर सायकल चालक के पैर में दबे पाईप को उठाकर उसकी खैरियत लिए। गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति ग्राम खोखरा का रहने वाला बताया जिसे आरक्षकों द्वारा डॉयल 112 को कॉल कर ईआरवी वाहन से ईलाज के लिये के0जी0एच0 भिजवाये

तथा नगर निगम के ट्रैक्टर अपने कब्जे में रखकर यातायात पुनः सुचारू रूप से बनाए।

सेक्टर अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

» सेक्टर अधिकारी अपने संबंधित मतदान केन्द्र का निरीक्षण करके मतदान केन्द्रों का करेंगे भौतिक सत्यापन

न्याय साक्षी/रायगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में सृजन सभा कक्ष में सेक्टर अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर.ए.कुरूवंशी द्वारा सभी सेक्टर अधिकारियों का उनके दायित्वों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि पंचायत निर्वाचन के लिए 30 दिसंबर से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। एक सेक्टर अधिकारियों के अन्दर 20 से लेकर 25 मतदान केन्द्रों का दायित्व रहता है। उन्होंने अधिकारियों को अपने संबंधित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करके भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा है और मतदान केन्द्रों में पर्याप्त रोशनी, पानी, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुरूवंशी ने सेक्टर अधिकारियों का इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है कि मतदान केन्द्रों तक पहुंच मार्ग सुविधाजनक रहे। भौतिक सत्यापन के दौरान अगर रुट रास्ते सुविधाजनक नहीं है तो तत्काल इसकी सूचना देंगे ताकि मतदान दलों के लिए आवागमन सुविधाजनक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि शांति पूर्ण निर्वाचन करवाना आपका दायित्व है। जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल ने प्रशिक्षण में सेक्टर अधिकारियों के कार्यो मतदान की प्रक्रिया और मतगणना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

सेक्टर अधिकारियों को मतदान के दिन हर दो-दो घंटे में मतदान के प्रतिशत की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। उन्होंने बताया कि पंचायत निर्वाचन में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के अलग-अलग मतपत्र होंगे। मतदाता को कुल चार मतपत्र दिया जाएगा और उनके माध्यम से मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पंच के लिए सफेद रंग का मतपत्र, सरपंच के लिए नीले रंग का, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीले रंग और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

प्रशिक्षण में बताया गया कि एक मतदान दल में 5 लोग शामिल रहेंगे। इनमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 01, मतदान अधिकारी 02, मतदान अधिकारी 03 और मतदान अधिकारी 04 रहेंगे। सेक्टर अधिकारी मतदान के एक दिन पूर्व अपने संबंधित मतदान दलों के साथ मतदान सामग्री के साथ मतदान केन्द्रों के लिए रवाना होंगे और अपने संबंधित मतदान केन्द्र पहुंचने के उपरांत सेक्टर अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को सकुशल पहुंचने की सूचना देंगे।

नगरीय निकाय निर्वाचन के अभ्यर्थियों के व्यय परीक्षण की अंतिम तारीख 22 जनवरी

» व्यय संपरीक्षकों को बिल सहित देना होगा खर्चो का पूरा ब्यौरा

» अंतिम तारीख तक लेखा परीक्षण न करवाने वाले अभ्यर्थियों पर छ.ग.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के निर्वाचन व्यय परीक्षण के आदेश के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए व्ययों का अंतिम लेखा तैयार कर परीक्षण करवाना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों के लिए व्यय परीक्षण की अंतिम

तिथि 22 जनवरी 2020 तक है। जिसमें उनको प्रदत्त व्यय लेखा रजिस्टर के प्रोफार्मा %ग' में विधिवत शपथ पत्र एवं खर्चो के समस्त व्हाउचर को अभिप्रमाणित व प्रतिहस्ताक्षरित कर संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के पास जमा कर परीक्षण करवाना अनिवार्य है।

प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनिल पटेल ने बताया कि जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन में अभ्यर्थियों के व्यय लेखा परीक्षण के लिए कुल 23 टीमें बनायी गई है। जिनमें 6 टीम नगर निगम रायगढ़, 3 टीम खरसिया व 2 टीम शेष प्रत्येक नगरीय निकायों के लिए गठित की गई है। इन टीमों को वार्डवार बांटा गया है। अतः अभ्यर्थियों को अपने वार्ड के लिए नियुक्त व्यय संपरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर अपने निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा-जोखा तय समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करना है। उक्त अवधि में यदि कोई अभ्यर्थी अपना निर्वाचन व्यय लेखा परीक्षण नहीं करवाता है तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग उस अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा।

ट्रक रोककर चालक व हेल्परों को धमकी व गाली गलौज का रिपोर्ट दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। ट्रक चालक चन्दन देव पिता कन्हैया लाल देव उम्र 52 वर्ष निवासी 24 परगना कलकत्ता (प.ब.) का दिनांक 29.12.19 को थाना सारंगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि करीब 15 दिन पूर्व ट्रक क्रमांक डब्ल्यूबी 25 एच 4230 से मछली बीज लेकर महाराष्ट्र जाते समय ग्राम चंदाई सारंगढ के पास जितेन्द्र गुप्ता पिता रामजी लाल गुप्ता उम्र 39वर्ष राजापारा सारंगढ़ गाडी को रोककर डरा धमका कर पैसा की मांग कर रहा था , तब पैसा नही दिया था। दिनांक 28.12.2019 को ट्रक लेकर बसीर हाट पश्चिम बंगाल से घोष ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मछली बीज लोड कर इन्द्रपुर महाराष्ट्र लेकर जा रहा था। साथ में मछली का

देखरेख करने वाला साहलमगाजी एवं 2 हेल्फर भी थे दिनांक 29.12.2019 के करीब 04:00 बजे शाम जितेन्द्र गुप्ता हाथ देकर गाडी को रोका। ट्रक में क्या है पूछने पर मछली बीज है बताये तो जितेन्द्र गुप्ता तेरा सेठ अवैध मछली ले जा रहा है पैसा नही देता है। कहकर गंदी गंदी गाली गलौज किया और ट्रक से खींचकर नीचे उतारा और मारपीट करने पर आमदा हो गया। आवेदन पत्र पर जितेन्द्र गुप्ता के विरूद्ध अप.क्र. 658/19 धारा 294,341,385 भादंवि दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

12 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जप्त किया गया

रायपुर (आरएनएस) रायपुर नगर निगम की जोन क्रमांक 2 की टीम द्वारा आज स्टेषन रोड़, फाफाडीही आदि क्षेत्रों में गुमटी, पान ठेला तथा फल विक्रेताओं की जांच की गई।

वहां से 12 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पाउच एवं कैरी बैग जप्त किये गये। जोन 2 के जोन कमिष्नर श्री नेतराम चंद्राकर ने बताया कि कार्यवाही के दौरान जोन के लोकनिर्माण

विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सुरेन्द्र बैरागी भी उपस्थित थे। कार्यवाही के साथ ही विक्रेताओं को सिंगल यूज प्लास्टिक का फिर से उपयोग नहीं करने के भी निर्देष दिये गये है।

पांच सालो में 851 दिव्यांजनो को 974 कृत्रिम अंग का वितरण

» सात दिवसीय शिविर का समापन

न्याय साक्षी/रायगढ़। अघोर गुरूपीठ ट्रस्ट बनोरा के निःशुल्क कैलिपर्स शिविर इस वर्ष 208 दिव्यांगजनो ने पंजीयन कराया जिनको 216 कैलिपर्स व कृतिम अंगो का वितरण किया गया। 24 से 30 दिसम्बर तक आयोजित निःशुल्क शिविर का विधिवत समापन सामूहिक कैलिपर्स व कृत्रिम अंगो के साथ वितरण के साथ जनप्रतिनिधियों, शहर के गणमान्य लोगों व मीडिया की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। बीते पाँच

सालो से चल रहे इस शिविर में कुल 851 लोगो का पंजीयन हुआ और 974 कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। 2015 से प्रारंभ निःशुल्क कैलिपर्स शिविर में इस वर्ष पड़ोसी राज्य उड़ीसा, मध्यप्रदेश ,पश्चिम बंगाल बिहार समेत छग बिभिन्न जिले के दिव्यांगजन शिविर शामिल हुए ।जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सूरजपुर, जांजगीर, कोरबा, कोरिया, रायपुर ,जशपुर तथा बिहार के पटना, देहरिओन सोन,मध्यप्रदेश के अनूपपुर पश्चिम बंगाल के बलरामपुर, और उड़ीसा के झारसुगुड़ा, सुन्दरगढ़, बरगढ़ से शामिल हुए । समापन के दौरान रायगढ़ सांसद भी मौजूद रही।

विदित हो कि आयोजन के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि यह मनावसेवी संस्था निरन्तर अंतिम पंक्ति में निवासरत साधन विहीन लोगो के जीवन उत्थान के प्रयासों में सक्रिय है । जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सेवारत है । अगला निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर डभरा व रायगढ़ में आयोजित होगा । सभी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली साधन विहीन जनता को मदद मुहैया कराई जा सके । शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास जारी है । इस शिविर में फिजियो थेरेपिस्ट ओड़िसा के डॉ संजय राम व रायगढ़ के गौतम अग्रवाल ने अपनी सेवाएं दी वही जयपुर के चिकित्सक डॉ जांगिड़ अपने 18 सदस्यीय टीम के साथ इस शिविर में मौजूद रहे । ट्रस्ट के संस्थापक बाबा प्रियदर्शी राम जी ने शिविर के समापन पर उदबोधन के दौरान आह्वान करते हुए कहा कि समाज खर्चीले विवाह व अन्य व्यर्थ के फिजूलखर्ची आयोजनों की राशि गरीबो की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा हेतु खर्च करे। यही सच्ची व निःस्वार्थ सेवा है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480